सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	अग्रहायण 3 ,मंगलवार, शाके 1942–नवम्बर 24 ,2020 *Agrahayana 3, Tuesday, Saka 1942–November 24, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 24, 2020

जी.एस.आर.225 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2008 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 5 का संशोधन.**- राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2008 के नियम 5 के विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) अतं:रोगी कक्ष प्रभारों को सम्मिलित करते हुए प्रतिपूर्ति की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। तथापि, अतं:रोगी कक्ष की हकदारी राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय अनुसार होगी।"

[सं. एफ.11(3)न्याय/02 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

पुरूषोत्तम लाल सैनी,

संयुक्त शासन सचिव

LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 24, 2020

G.S.R.225 .-In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008, namely:-

1. Short title, commencement and application.- (1) These rules may be called the Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 5.- The existing clause (iv) of rule 5 of the Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008 shall be substituted by the following, namely:-

"(iv) There shall not be any ceiling on reimbursement including in patient room, charges. However, in patient room entitlement shall be as admissible to the State Governement employees."

[No. F. 11(3)NYAY/02 pt.]
By order and in the name of the Governor,
Purushottam Lal Saini,
Joint Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।